पत्रांक-.......266 (पु०)/आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर० के० सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी,

अररिया/ सुपौल/ मधेपुरा/ सहरसा एवं पूर्णियाँ ।

पटना-15, दिनांक- 12वीं सितम्बर, 2008

विषय: **राहत केन्द्रों के संबंध में ।**

प्रसंग: इस कार्यालय के पत्रांक-2493 दिनांक-05.09.2008

महाशय

राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान एक शिविर में पाया गया कि सुबह का नाश्ता नहीं दिया गया था। यह सुनिश्चित किया जाय कि सुबह का नाश्ता शिविर बासिन्दों को प्रतिदिन अवश्य दिया जाय। नाश्ता में चुड़ा, चना, गुड़, चने की घुघनी इत्यादि दिया जा सकता है।

2. बड़े शिविरों में मात्र एक रसोईघर अपर्याप्त होगा। तद्नुसार शिविरों को सेक्टर्स में बांटकर प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग रसोईघर की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे लोगों को खाना मिलने में विलंब नहीं होगा। सेक्टर के लिए आवश्यक बर्तन, ईंधन इत्यादि का क्रय अनुमान्य है। सेक्टर में भोजन की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए सेक्टर में निवासित प्रभावी व्यक्ति की समिति बना दी जा सकती है। सेक्टर में रह रहे पुरुष/महिला के बीच से ही खाना बनाने के लिए लोगों को लगाया जा सकता है और इसके लिए उन्हें श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान अनुमान्य होगा।

3. शिविर में भोजन की मेन्यू समय-समय पर बदला जाय।

4. विस्थापितों के मनोरंजन हेतु Musical Instruments- यथा ढोलक, झाल इत्यादि अथवा अन्य मनोरंजन/खेलकुद की व्यवस्था कराई जाय। इसके लिए प्रति शिविर (1000 व्यक्तियों के लिए) एक हजार रुपये अनुमान्य होगा। इसके अलावे राहत शिविरों में रह रहे लोगों के मनोरंजन हेतु गायन, चित्रांकन, खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी उचित रहेगा।

उपरोक्त व्यय भी शिविर संचालन मद से विकलनीय होगा।

विश्वासभाजन

(आर० के० सिंह)

प्रधान सचिव